भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2054

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि संकट से संबंधित अध्ययन

2054. श्रीमती चिंता अनुराधा :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों से संबंधित कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कृषि संकट की समस्या के समाधन हेतु कृषि-विकास को सतत् बनाए रखने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकियों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) : कृषि मैं तनाव एवं उसके परिणामस्वरूप देश में किसानों की आत्महत्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने " भारत में किसानों की आत्महत्याएं एवं उसके कारण तथा नीतिगत उपाय" नामक अध्यन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेगलूरू के माध्यम से वर्ष 2016-17 के कार्य योजना में अखिल भारतीय समन्वित अध्यन्न के रूप में कराया था। इस अध्यन्न में देश के 13 राज्यों को शामिल किया गया था जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

इस अध्ययन में यह पता चला कि मानूसन के समय पर न आने के कारण बार-बार फसलों को पहुंची क्षति, आश्वस्त जल संसाधानों की कमी तथा कीट एवं बीमारियां किसानों में दबाव के अत्यधिक प्रमुख कारण हैं। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए हैं:-

(क) प्रत्येक किसान को फसल बीमा के अंतर्गत शामिल करना।

(ख) उपलब्ध जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना।

(ग) उत्पादन लागत के साथ उचित लाभ को शामिल करते हुए एमएसपी के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप करना।

(घ) फसल एवं उद्यमिता विविधीकरण के माध्यम से जोखिम कमी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि सतत आय को ध्यान में रखते हुए किसानों में तनाव को कम किया जा सके।

(ङ) औपचारिक ऋण बाजार को विनियमित करना।

(ग): सरकार ने कृषि क्षेत्र में कृषि के सतत विकास में आधुनिक प्रोद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इस दिशा में की गई कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं:-

(i) आधुनिक प्रोद्योगिकी के बारे में जानकारी एवं सूचना आदि के प्रचार-प्रसार के लिए 716 कृषि विज्ञान केन्द्रों का एक नेटवर्क सृजित करना।

(ii) विस्तार सुधार, कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया सहायता, किसान कॉल सेंटर, कृषि-क्लीनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र, प्रदर्शनी/मेलों आदि जैसी गतिविधियां कृषि प्रोद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) स्कीम के तहत संचालित करना।

(iii) कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम)

(iv) पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश तथा एनसीटी दिल्ली में फसलों का अपशिष्ट का अपने ही स्थान पर प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।

(v) राष्ट्रीय कृषि ई-मण्डी प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है।

(vi) मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्कीम

(vii) प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)

*****